

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

संख्या प.2(28)वित्त/कर/2019

जयपुर दिनांक: 03 MAR 2020

—: आदेश :—

राज्य में ई-स्टाम्प व्यवस्था लागू करने के संबंध में दिनांक 04.9.2019 को Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL) एवं राज्य सरकार के मध्य निष्पादित ई-स्टाम्प एग्रीमेण्ट के क्लॉज 1 में प्रदत्त शक्तियों के तहत National e-Governance Services Limited (NeSL) के पोर्टल पर Electronic Form में निष्पादित होने वाले निम्नलिखित दस्तावेजों पर पक्षकारों को NeSL के माध्यम से स्टाम्प ड्यूटी का ऑनलाईन भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए SHCIL को अधिकृत किया जाता है:—

Article No.	Description of Document
1	Acknowledgement
4	Affidavit
5(d)	Agreement or Memorandum of Agreement relating to secure the repayment of a loan or debt made by a bank or finance company.
6	Agreement or any other document (memorandum etc.) relating to the deposit of title deeds, pawn or pledge.
13A	Bank Guarantee/Letter of Credit
14	Bond
20	Composition Deed
30(b)(ii)	Further Charge
32	Indemnity Bond
35	Letter of License
37(b)	Mortgage Deed without possession/Hypothecation Deed
44	Power of Attorney
47	Re-conveyance of Mortgage
49	Respondentia Bond
50	Security Bond

ई-स्टाम्प एग्रीमेण्ट दिनांक 04.9.2019 के क्लॉज 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त दस्तावेजों पर पक्षकारों से SHCIL के माध्यम से स्टाम्प ड्यूटी का ऑनलाईन भुगतान प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए NeSL को Authorised Collection Centre नियुक्त करने के लिए SHCIL को एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,

sd

(निशान्त जैन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
2. Regional Manager, Stock Holding Corporation of India Limited, 213, IInd Floor, Sangam Tower, Charch Road, Jaipur- 302001.
3. Managing Director & CEO, NeSL, Gresham Assurance House, Fourth Floor, Sir PM Road, Fort Mumbai-400001.
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव